

संख्या- 46/2026/1840/छिहत्तर-1-2026-1921764

प्रेषक,

डा० अम्बरीष कुमार सिंह,

संयुक्त सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशाली निदेशक,

राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,

लखनऊ।

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक 14 अक्टूबर, 2026

विषय: प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की विभिन्न अनुरक्षणाधीन पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु वित्तीय स्वीकृति। (अनुदान संख्या-83)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2571/ई-2(ओ.एण्डएम.) /2026-27/Fin-3, दिनांक 27 अगस्त, 2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न अनुरक्षणाधीन पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण मद में रु 54000.00 लाख धनराशि स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-83 के अंतर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की विभिन्न अनुरक्षणाधीन पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु प्राविधानित धनराशि रु 120000.00 लाख के सापेक्ष धनराशि रु 54000.00 लाख (रुपये पांच अरब चालीस करोड मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल प्रदान करते हैं-

- (i) प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में 30प्र0 बजट मैनुअल और फाइनैशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
- (ii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय ग्रामों में निर्मित / निर्माणाधीन अंतःग्राम अवसंरचनाओं पर ही किया जायेगा तथा व्यय उन्हीं मदों में अनुमन्य होगा। अन्य किसी मद में किया जाने वाला व्यय अनुमन्य न होगा।
- (iii) आकड़ों की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता की पुष्टि का दायित्व राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन का होगा।
- (iv) स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार चरणों में किया जायेगा।
- (v) स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियम संगत आहरण/व्यय, स्वीकृत की गयी धनराशि के विरुद्ध निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने तथा निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन का होगा।
- (vi) राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, अर्थात् किसी प्रकार की द्विरावृत्ति न हो।

- (VII) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है जिसमें ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज को निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराने का दायित्व राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन का होगा।
- (VIII) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजनान्तर्गत निर्धारित गाइड लाइन/दिशा-निर्देशों में उल्लिखित व्यवस्था एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त व्यवस्था के अन्तर्गत किया जायेगा। धनराशि के आहरण के संबंध में मितव्ययता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (IX) स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/वी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28-03-2026 व अन्य संगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- शासनादेश में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन वित्त नियंत्रक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

4- उक्त पर होने वाल व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परियोजना-01-जलपूर्ति-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-01-जल जीवन मिशन (के.50/रा.50-के.)-29-अनुरक्षण मद के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-E-2-122-X-2026-27 दिनांक: 18-9-2026 के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय
Digitally signed by
AMBRISH KUMAR SINGH
Date: 14-10-2026 12:27:12
(डा० अम्बरीष कुमार सिंह)

संयुक्त सचिव।

संख्या:46/2026/1840 (1)/छिहत्तर-1-2026(1921764) तद्विनांक।

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम /द्वितीय, 30प्र0।
- (2) महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम /द्वितीय, 30प्र0, प्रयागराज।
- (3) निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
- (4) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) लखनऊ।
- (5) मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
- (6) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- (7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-2/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/2
- (8) गार्ड बुक।

आज्ञा से,
डा० अम्बरीष कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।